स्टेट विंडो

पन्ना टाइगर रिजर्व में दो शावकों का जन्म, अठखेलियां करते आए नजर

पन्ना| पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन पी-234 ने दो शावकों को जन्म दिया है। बफर क्षेत्र अकोला के तालाब में नहाते व मां के साथ अठखेलियां करते इन शावकों की तस्वीर सामने आई है। शावकों की आयु लगभग 4 माह हो चुकी है। इसके पूर्व 4 मई को बाघिन पी-234 (23) के दो शावकों की तस्वीर सामने आई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 80 के आसपास हो चुकी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की दो अफसरों पर 25-25 हजार का जुर्माना

भोपाल| राज्य सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने महिला बाल विकास विभाग की सागर की दो महिला अफसरों पर 25-25 हजार रुपए कस जुर्माना किया है। विभाग की ही एक महिला कर्मचारी को आरटीआई के जरिए चाही गई जानकारी नहीं देने पर यह निर्णय लिया गया। इन अधिकारियों के नाम रचना बुधोलिया और प्रेमवती चढ़ार है। एक मामले में आवेदक से ली गई 32 सौ रुपए की फीस भी लौटाने का आदेश दिया गया है। आवेदक ऋचा दुबे ने 25 मई 2022 को विभाग के सागर कार्यालय से आवक-जावक की कॉपी चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी ने समय सीमा में उनसे 32 सौ रुपए की राशि शुल्क के रूप में जमा करवा ली। लेकिन जानकारी नहीं मिली। प्रथम अपीलीय आदेश के बावजूद 15 दिन में दस्तावेज नहीं दिए गए, तो मामला आयोग के समक्ष आया।

मुरैना : नदी के बहाव में बहा पुल का जाल, दो घंटे तक आवागमन बंद रहा

विजयपुर/मुरैना| टेंटरा विजयपुर रोड पर ऊपचा के पास 193 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के लिए तैयार जाल, मंगलवार की बारिश में बहकर आड़ा हो गया। इसकी वजह से विजयपुर मुरैना रोड पर दो घंटे तक आवागमन बंद रहा। वहीं मुरैना के पोरसा में बारिश के साथ आई आंधी में करसड़ा गांव में सास गोदाबाई व बहू मधु शर्मा छत से नीचे गिर गईं। कई पेड़ टूट गए।

गंगा दशहरा पर सिंहस्थ सा नजारा, नागा साधु-संतों ने किया शाही स्नान

उज्जैन| सिंहस्थ 2016 के सात वर्ष बाद उज्जैन में मंगलवार को एक बार फिर सिंहस्थ जैसा दृश्य दिखाई दिया। अवसर था गंगा दशहरा महोत्सव का। घोड़े और रथ पर सवार होकर नागा साधु निकले। बैंडबाजे के साथ महामंडलेश्वर और बड़ी संख्या में देशभर से आए अनुयायी भी नजर आए। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा घाट नीलगंगा पर संत, महंतों का शाही स्नान हुआ।

पानी में लगाया ध्यान

संत शाही पेशवाई में निकले। शाम को नीलगंगा सरोवर स्थित मां नीलगंगा का अभिषेक कर महाआरती की। एक संत में नीलगंगा सरोवर में ध्यान भी लगाया।

भास्कर एक्सक्लूसिव • 2021-22 की तुलना 22-23 में ज्यादा रहा पीएम-10 का स्तर

ग्वालियर : चार साल में 79 करोड़ खर्च, प्रदूषण घटने की बजाय और बढ़ गया

अंशुल वाजपेयी | ग्वालियर

ग्वालियर की सड़कों पर उड़ने वाली धूल की सफाई में लापरवाही बरतना ग्वालियर नगर निगम को भारी पड़ रहा है। 79 करोड़ रुपए खर्च कर खरीदी गईं आधुनिक मशीनों से सड़कों की सफाई, सीसी रोड का निर्माण, यहां तक की सड़कों को चौड़ा करने के बाद भी पीएम-10 (पर्टिकुलेट मैटर यानी धूल के कण) के स्तर में कमी की जगह बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020-21 में पीएम-10 का स्तर 136.23 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर था। वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा घटकर 121.09 पहुंच गया था। लेकिन वर्ष 2022-23 में पीएम-10 का स्तर बढ़कर 137 पर आ गया, जो कि वर्ष 2021-22 से भी ज्यादा रहा। यहां बता दें कि ग्वालियर में वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण पीएम-10 को ही माना जाता है। इसके बढ़ने का प्रमुख कारण धूल है इसकी पुष्टि सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी (जो कि आईआईटी कानपुर द्वारा की गई) में भी हो चुकी है।

नगर निगम ने इन प्रमुख कार्यों पर खर्च की राशि

▪ आठ वाटर फॉगर मशीनः	₹4 करोड़
▪ 3 स्ट्रीट स्वीपिंग मशीनः (3 साल के संधारण के साथ)	₹8 करोड़
▪ 12 इलेक्ट्रिक कारः	₹1.72 करोड़
▪ 8 सी एंड डी वेस्ट वाहनः	₹2.10 करोड़
▪ बरा डंपिंग साइट में पार्क पर :	₹3 करोड़
▪ पार्क के दूसरे चरण में खर्च होंगेः	₹1.30 करोड़
▪ सी एंड डी वेस्ट प्लांटः	₹6.50 करोड़
▪ कॉलोनियों में पेवर्स लगाने मेंः	₹4 करोड़
▪ सड़क निर्माणः (प्रआ योजना अंतर्गत)	₹1.96 करोड़
▪ रेसकोर्स रोड स्थित मार्ग के दोनों तरफ हरियाली सहित अन्य कार्य	₹1.72 करोड़
▪ सीमेंट कंक्रीट सड़केंः	₹30.99 करोड़

ऐसे समझें पीएम-10 का महत्व : केंद्रीय मंत्रालय ने 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लांच किया। इसमें 2025 तक प्रमुख रूप से पीएम-10 के स्तर में 25 से 40% की गिरावट लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देशभर के 100 से ज्यादा शहरों को शामिल किया गया है। जिसमें ग्वालियर भी है। वर्ष 2019-20 से ग्वालियर को राशि मिलना प्रारंभ हुई। बीते चार साल में नगर निगम को कुल 96.29 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से 78.95 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं।

अब जॉइंट कमिश्नर सुनेंगे आयकर अपीलें

आयकर आदेश के विरुद्ध मामले जल्द निपटेंगे, नोटिफिकेशन जारी

भास्कर न्यूज | इंदौर

आयकर में असेसमेंट आदेश के विरुद्ध दायर अपील के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब कमिश्नर स्टार के अधिकारियों के अलावा जॉइंट कमिश्नर को भी अपील सुनने और आदेश देने के अधिकार दे दिए हैं। विभाग के अनुसार देशभर में वर्तमान में पांच लाख से अधिक अपीलें कमिश्नर स्तर पर पेंडिंग हैं। इनमें से इंदौर की लगभग 30 हजार अपील हैं। इन पर निर्णय करने के लिए देशभर में लगभग 295 कमिश्नर अधिकृत हैं, इनमें से 3 कमिश्नर इंदौर के हैं, जिन्हें इन अपील के निराकरण का अधिकार मिला है।

वर्ष 2020 में इनकम टैक्स में फेसलेस अपील प्रक्रिया लागू होने के बाद से तीन वर्षों में अपीलों के निराकरण की गति में कमी आई है। इसे देखते हुए सरकार ने जॉइंट कमिश्नर को अपील सुनवाई और निर्णय देने का प्रस्ताव लाया था। इसकी योजना सोमवार को नोटिफाई की गई। इन जॉइंट कमिश्नर अपील प्रक्रिया के लागू होने से वर्षों पुरानी अपील की सुनवाई में तेजी आएगी और करदाता को राहत मिलेगी। अब इसके तहत 100 अतिरिक्त जॉइंट कमिश्नर अपील का निराकरण कर सकेंगे, जिसके लिए निर्धारित मानक प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। साथ ही फॉर्म्स में भी जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं।

इंदौर : लपटें उठतीं देख बीएसएफ एसआई ने रुकवाई लग्जरी कार, बिजनेसमैन के उतरने के 10 सेकंड में भभकी आग

इंदौर| सुपर कॉरिडोर पर लग्जरी कार में आग लग गई। रूचिर पिता मनोजभाई सेठ निवासी वडोदरा पीथमपुर की ओर से इंदौर आ रहे थे। अचानक कार (GJ06FC9840) में स्पार्किंग हुई। बीएसएफ के एसआई शिवदयाल सिंह ने लपटें उठती देख कार रुकवाई। बिजनेसमैन के उतरने के 10 सेकंड में ही आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। वहां से गुजर रहे टैंकर की मदद से आग बुझा ली गई।

एक्सपर्ट कमेंट • नितिन खरे, ऑटो मोबाइल एक्सपर्ट

प्रीमियम कारें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के साथ आती हैं। खरीददार अलग से साउंड सिस्टम, लाइटिंग या इंटिरियर करवा लेते हैं। इससे स्पार्किंग और आग का खतरा बढ़ जाता है। टायर की ओवर हीटिंग से भी आग लग सकती है। 200 से 300 किमी चलने के बाद थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक देना चाहिए। एसी और ब्लोअर भी लगातार नहीं चलाएं।

जबलपुर : समय पर नहीं की पिज्जा की डिलीवरी, क्षतिपूर्ति देने का आदेश

जबलपुर| जिला उपभोक्ता आयोग ने पिज्जा की डिलीवरी समय पर नहीं किए जाने को सेवा में कमी व अनुचित व्यापार प्रथा के दायरे में रखा। आयोग ने जुबीलेंट फुड वर्क्स लिमिटेड व डोमिनोज पिज्जा को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। आयोग ने पिज्जा का मूल्य 305 रुपए सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक पीड़ा के एवज में पांच हजार व मुकदमे का खर्च दो हजार रुपए भुगतान करने कहा गया है। परिवादी शिवेंद्र पांडे ने 31 दिसंबर, 2019 को रात 8 बजे पिज्जा आर्डर किया था। दोबारा शिकायत करने पर आश्वासन दिया कि जैसे ही डिलीवरी पर्सन आएगा पिज्जा पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ।

सागर : विवाह सम्मेलन में नकली टीवी सप्लायर ने लौटाए एक करोड़ रुपए

सागर| जिले के गढ़ाकोटा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के विवाह समारोह में सेंसुई कंपनी के नाम पर 1850 नकली एलईडी टीवी बांटने के मामले में नया मोड़ आया है। टीवी सप्लायर फर्म एसआरके इंटरप्राइजेज ने इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद गढ़ाकोटा नगर पालिका को 1 करोड़ की राशि लौटा दी है। यह फर्म प्रीति पति मुकेश साहू के नाम पर है। मुख्य आरोपी सागर के मुकेश साहू व दिल्ली के राजू गुप्ता को सशर्त जमानत मिल गई है। वहीं प्रीति की तलाश में महिला पुलिस की एक टीम रवाना की गई है। टीवी खरीदी के लिए अधिकृत किए गए गढ़ाकोटा नगर पालिका सीएमओ धनंजय गुमास्ता की भूमिका की जांच भी चल रही है।

जानापाव में परशुराम लोक के लिए सीएम ने किया भूमिपूजन

भोजनशाला व संत भवन का किया लोकार्पण

भास्कर न्यूज | हासलपुर (महू)

जानापाव में परशुराम मंदिर लोकार्पण के लिए आए मुख्यमंत्री ने इस बार फिर जानापाव में नर्मदा का जल लाने की घोषणा की और परशुराम लोक निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। साथ ही भोजनशाला तथा संत भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा सरकार जो कहती है वह करती है। 38 दिन पहले परशुराम लोक की घोषणा करके गया था आज भूमिपूजन कर दिया है। 11 करोड़ रुपए के विकासकार्यों का भूमिपूजन किया है। परशुराम लोक में कुंड, श्याम कक्ष, हर्बल गार्डन बनेगा। झूले लगेंगे जो तारों के माध्यम से ऊपर से नीचे आ जा सकेंगे। मुख्यमंत्री बोले हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। धर्म हमारा आधार है। हम हमेशा जनता का कल्याण करेंगे जिसे जो कहना है कहे। देने वाला भगवान, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत मोरा...। मुख्यमंत्री शाम को 4:40 बजे जानापाव पहुंचे और लोकार्पण, भूमिपूजन और आहूति देने के बाद 5:45 बजे भोपाल के लिए रवाना हो गए। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी जानापाव आए थे।

इंदौर का गौरव दिवस आज, सुनिधि चौहान की प्रस्तुति

इंदौर | देवी अहिल्या की जन्मतिथि पर बुधवार को इंदौर अपना गौरव दिवस मनाएगा। मुख्य कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में 31 मई शाम 6 बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7.05 बजे पहुंचेंगे। आयोजन में ख्यात गायिका सुनिधि चौहान प्रस्तुति देंगी। 50 लोगों के समूह द्वारा डमरू और शंखनाद से शिव महिमा सुनाई जाएगी। कृष्णलीला भी होगी। रात 8 बजे रागिनी मक्खर और बाल कलाकारों द्वारा अहिल्याबाई होलकर पर आधारित प्रस्तुति दी जाएगी।

सीहोरः नर्मदा में नहाते समय एक लड़की डूबी, दो को बचाया

रेहटी (सीहोर) | नर्मदा नदी के आंवलीघाट पर गंगा दशमी पर स्नान करने परिवार के साथ आई तीन लड़कियां नहाते हुए गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं, जिसमें से दो लड़कियों को बचा लिया। एक की मौत हो गई। रायसेन के मानपुर गांव से नंदकिशोर लोधी मंगलवार को परिवार के साथ नर्मदा स्नान करने सुबह आंवलीघाट आए थे। उनकी बेटी सिमरन (12) की डूबने से मौत हो गई। उनकी दो अन्य बेटियों को लोगों की मदद से बचा लिया है।

बालाघाटः समूह पेयजल योजना में अनियमितता पर ईई सस्पेंड

बिना टेंडर काम कराया और लाखों का कर दिया भुगतान

भास्कर न्यूज | बालाघाट

लालबर्रा की समूह पेयजल योजना के काम में अनियमितता बरतने के मामले में पीएचई के कार्यपालन यंत्री अरुण श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की उपसचिव संजना जैन ने की। आरोप है कि कार्यपालन यंत्री श्रीवास्तव ने बिना निविदा के लालबर्रा जनपद में समूह पेयजल योजना का संधारण कार्य कराया और इसके लिए लाखों रुपए का भुगतान भी कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद इसे गंभीर अनुशासनहीनता व वित्तीय अनियमितता मानते हुए विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल रहेगा।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ – इंदौर
मूल–क्षेत्राधिकार
कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एवं
मैसर्स एम.पी. पेट्रोकेम लि.(परिसमापन–में) के अंतर्गत
कंपनी पिटीशन क्रमांक 04/2011
ई–नीलामी विक्रय सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर के आदेश दिनांक 25/04/2023 के आदेशानुसार निम्नलिखित परिसंपत्तियों/संपत्तियों की बिक्री हेतु **"जहां है जैसी है और जो कुछ भी है" (AS IS WHERE IS AND WHATSOEVER THERE IS BASIS)** के आधार पर इच्छुक/संभावित (क्रेताओं से ई–निविदा) आमंत्रित की जाती हैं।

लॉट नं. 01 – ऑफिस भवन जो कि फ्लैट नं. 227 (28.1 वर्गमीटर) और 228 (29.74 वर्गमीटर) दो मंजिला, मुले टॉवर, एम.जी. रोड, इंदौर (म.प्र.) में स्थित है।

लॉट नं. 01 के लिये आरक्षित मूल्य एवं ई.एम.डी. का विवरण निम्नानुसार है:–

लॉट संख्या	लॉट का विवरण	आरक्षित मूल्य	ई.एम.डी.
लॉट नं. 1	ऑफिस भवन जो कि फ्लैट नं. 227 (28.1 वर्गमीटर) और 228 (29.74 वर्गमीटर) दो मंजिला, मुले टॉवर, एम.जी.रोड, इंदौर (म.प्र.) में स्थित है।	27,05,232/-	2,70,523/-

नोट :–
01. उपरोक्त संपत्तियों का निरीक्षण 14/06/2023 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के बीच किया जा सकेगा। सभी संभावित खरीददार को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संपत्तियों के निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन द्वारा COVID-19 के रोकथाम/प्रसार को रोकने के लिये दिये निर्देशों का पालन करें।
02. ऑनलाईन ई–नीलामी में भाग लेने हेतु, निविदाकर्ता को रू 1000/– (एक हजार रूपये) गैर–वापसी योग्य, ई–नीलामी भागीदारी शुल्क का भुगतान 27/06/2023 को सायं 06:00 बजे तक शासकीय समापक के चालू खाता शासकीय समापक द्वारा संपत्तियों की ई–नीलामी (E-Auction of Assets by the Official Liquidator) क्रमांक 0212002100247959, पंजाब नेशनल बैंक, सीतलामाता बाजार, शाखा इंदौर–शाखा कोड संख्या 021200, आर.टी.जी.एस./नेफ्ट/आई.एफ.एस. कोड PUNB0021200 में करना होगा।
03. इच्छुक खरीददार अपना ऑनलाईन प्रस्ताव वेबसाइट https://olmp.auctiontiger.net के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
04. इस ई–विक्रय सूचना के विवरण/सहायता प्रक्रिया/ऑनलाईन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता ई–निविदा टीम के ग्राहक सहायता नंबर (079–6813 6842/9265562821/9265562818), श्रीराम शर्मा (मोबाइल 6352634834) पर एवं ईमेल support@auctiontiger.net और ramprasad@auctiontiger.net पर सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकते है।
05. इच्छुक खरीददार द्वारा धरोहर राशि (ब्याज रहित) नेफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से शासकीय समापक के चालू खाता शासकीय समापक द्वारा संपत्तियों की ई–नीलामी (E-Auction of Assets by the Official Liquidator) क्रमांक 0212002100247959 पंजाब नेशनल बैंक, सीतलामाता बाजार, शाखा इंदौर–शाखा कोड संख्या 021200, आर.टी.जी.एस./नेफ्ट/आई.एफ.एस. कोड PUNB0021200 में जमा की जानी चाहिये। ऑनलाईन प्रस्ताव मय धरोहर राशि एवं ऑनलाईन बिड फार्म मय अनुलग्नकों के जमा करने की अंतिम तिथि 27/06/2023 को सांय 6.00 बजे तक है। यह कि, भविष्य में नीलामी की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद पर कार्यालय शासकीय समापक, इंदौर व्दारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।
06. यह कि, नीलामी की प्रकिया में आने वाली इंटरनेट कनेक्टीविटी, नेटवर्क की समस्या, सिस्टम का फेल हो जाना एवं पावर का फेल हो जाना इत्यादि समस्याओं एवं अन्य कारणों के लिये कार्यालय शासकीय समापक, इंदौर जिम्मेदार नहीं होगा।
07. ई–नीलामी का संचालन दिनांक 05/07/2023 को दोपहर 1.00 बजे से 3.00 बजे तक वेबसाइट https://olmp.auctiontiger.net के माध्यम से किया जायेगा। यदि प्रस्ताव ई–नीलामी के समाप्ति के आखिरी मिनिट में आता है तो समय में स्वतः 10 मिनिट की वृद्धि होती जायेगी।
08. ई–विक्रय की स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर की पुष्टि के पश्चात ही मान्य होगी।
09. इस ई–विक्रय सूचना को याचिकाकर्ता, सुरक्षित लेनदारों /असुरक्षित लेनदारों / हिस्सेदारों /केन्द्रीय एवं राज्य सरकार अधिकारों/निकायों एवं अन्य सभी व्यक्तियों/हितग्राही समूहों जिनका कंपनी (परिसमापन–में) के संबंध में हित है, के लिये इस विक्रय सूचना को एक सूचना की तरह लिया जाये।
10. भावी क्रेता विज्ञापन की दिनांक से संपत्तियों के निरीक्षण की दिनांक तक किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक इंदौर स्थित परिसमापक के कार्यालय में आकर मूल्यांकन प्रतिवेदन आदि का अवलोकन कर सकते हैं तथा यदि आवश्यक हो तो प्रस्तावित ई–नीलामी सहभागिता से पूर्व संबंधित राजस्व अभिलेख/नक्शों को सीधे ही राजस्व प्राधिकारियों से संतुष्टि कर सकते हैं। भविष्य में इस संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद यदि कोई हो तो शासकीय परिसमापक द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।
11. ई–नीलामी से संबंधित अन्य जानकारी बिक्री के नियम एवं शर्तो के साथ वेबसाईट https://olmp.auctiontiger.net पर उपलब्ध है।
12. माननीय उच्च न्यायालय/अधिकारिक परिसमापक द्वारा किसी भी समय उपर दिए गए नियमों और शर्तो को शिथिल/रद्द/निर्धारित किया जा सकता है।

हस्ते/–
(व्योमेश शेठ, आईसीएलएस)
शासकीय समापक
मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय, इंदौर (म.प्र.)
प्रथमतल, ओल्ड सी.आय.ए., भवन
जी.पी.ओ. के सामने, रेसीडेंसी क्षेत्र इंदौर (म.प्र.)

दिनांक : 30/05/2023
स्थान : इंदौर (म.प्र.)
दूरभाष : 0731–2710051

HDFC BANK

प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013
क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन्स, सावित्री, 597-3/2, जी.सी.एफ. रोड़, सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) - 482001.

ई–नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक को बंधक अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की बिक्री सूचना।

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाए नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है तथा ऋणी(यों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(रों) द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाया की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** उसकी बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। नीचें दी गई संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर आयोजित की जावेगी।

अचल संपत्तियों का विवरण/ खाते/ राशि/ ईएमडी/ इत्यादी का विवरण

शाखा एवं खाता का नाम	संपत्ति के बंधककर्ता एवं जमानतदारों के नाम	समान बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना दिनांक	निरिक्षण की तिथी एवं समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बढ़ाने की राशि	ई–नीलामी की तिथी/ समय	बोली प्राप्ती हेतु अंतिम तिथी	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नं./ ई–मेल आईडी
एचडीएफसी बैंक लि. भोपाल (म.प्र.) खाता – उप्पल कमर्शियल प्रा. लि. (ऋणी)	1. श्री सौरभ उप्पल 2. श्रीमती सोनू उप्पल 3. श्री विनय उप्पल 4. श्रीमती स्वीटी उप्पल 5. श्रीमती विमला शर्मा 6. श्री राम नरेश शर्मा	1. प्लॉट नंबर 43, सेक्टर सी, रानी अवंती बाई ट्रांसपोर्ट नगर, रायसेन रोड, भोपाल, जिला-भोपाल (म.प्र.). सौरभ उप्पल के नाम पर है।	Rs. 30,43,08,094.78 दि. 31.07.2016 को बकाया 31.08. 2016	05/06/2023 एवं समय – प्रातः 10.00 बजे से	RP- Rs.42,00,000/- ईएमडी- Rs.4,20,000/- बोली बढ़ाने की राशि 50,000/-	22/06/2023 प्रातः 10 से दोप. 12 बजे तक	19/06/2023 सायं 4 बजे तक	आशीष रावत Ashish.rawat9@hdfcbank.com 9981126266 सुनील भानुशाली : 9323176985
		2. प्लॉट नंबर 15, बलवंत आर्चडे, जोन II, एमपी नगर, भोपाल (म.प्र.). सौरभ उप्पल और सोनू उप्पल के नाम पर है।			RP- Rs.1,32,00,000/- ईएमडी- Rs.13,20,000/- बोली बढ़ाने की राशि Rs.1,00,000/-	22/06/2023 दोप. 12 से 2 बजे तक	19/06/2023 सायं 4 बजे तक	
		3. प्लाट नं. 106 पर आवासीय मकान, शाहपुरा, लाला लाजपत राय सोसायटी, भोपाल (म.प्र.)। सोनू उप्पल, सौरभ उप्पल एवं विनय उप्पल के नाम पर है।			RP- Rs.1,89,00,000/- ईएमडी- Rs.18,90,000/- बोली बढ़ाने की राशि Rs.1,00,000/-	22/06/2023 दोप. 2 से सायं 4 बजे तक	19/06/2023 सायं 4 बजे तक	
		4. फ्लैट नंबर जी-2, डायनेस्टी अपार्टमेंट, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्रीमती विमला शर्मा के स्वामित्व में।			RP- Rs.40,00,000/- ईएमडी- Rs.3,60,000/- बोली बढ़ाने की राशि Rs.1,00,000/-	22/06/2023 सायं 4 से 6 बजे तक	19/06/2023 सायं 4 बजे तक	
एचडीएफसी बैंक लि. इन्दौर (म.प्र.) खाता – मेसर्स अश्व रियलइंफ्रा प्रा. लि. (ऋणी)	1. श्री अमित चंद्रवंशी 2. श्रीमती नेहा चंद्रवंशी	1. रेवेन्यु सर्वे नं. 125/5 की खुली भूमि, क्षेत्रफल-0.28 एकड. या 0.113 हेक्टेयर, जो ग्राम पलासी, प.ह.नं.05, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) स्थित है। श्रीमती नेहा चंद्रवंशी के नाम पर है।	Rs. 2,03,21,821.47 दि. 31.12.2018 को बकाया 25.01.2019	06-06-2023 एवं समय – प्रातः 10.00 बजे से	आरक्षित मूल्य Rs. 76,84,000/- ईएमडी- Rs.7,68,400/- बोली बढ़ाने की राशि Rs. 50,000/-	21/06/2023 प्रातः 10 से दोप. 12 बजे तक	19/06/2023 सायं 4 बजे तक	आशीष रावत Ashish.rawat9@hdfcbank.com 9981126266 सुनील भानुशाली : 9323176985
		2. एक लीजहोल्ड प्लाट नं.जे-45, उस पर निर्मित मकान सहित, जिसमें प्लाट क्षेत्र-352.50 वर्गफीट या 32.76 वर्ग मीटर शामिल है जो हाउसिंग बोर्ड, जनता कॉलोनी, ई -6, आशा निकेतन, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है। श्री अमित चंद्रवंशी एवं श्रीमती नेहा चंद्रवंशी के नाम पर है।			आरक्षित मूल्य Rs. 27,00,000/- ईएमडी- Rs.2,70,000/- बोली बढ़ाने की राशि Rs. 20,000/-	21/06/2023 दोप. 12 से 2 बजे तक	19/06/2023 सायं 4 बजे तक	
		3. एक लीजहोल्ड प्लाट नं.जे-46, उस पर निर्मित मकान सहित, जिसमें प्लाट क्षेत्र-68.32 वर्गमीटर या 735.20 वर्गफीट शामिल है जो जनता कॉलोनी, ई-6, आशा निकेतन, भोपाल (म.प्र.) में स्थित है। श्री अमित चंद्रवंशी के नाम पर है।			आरक्षित मूल्य Rs. 55,00,000/- ईएमडी- Rs.5,50,000/- बोली बढ़ाने की राशि Rs. 50,000/-	21/06/2023 दोप. 2 से 4 बजे तक	19/06/2023 सायं 4 बजे तक	

नियम एवं शर्ते

1. ई-नीलामी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** आयोजित की जा रही है।
2. इच्छुक बोलीदाता को लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबपोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर ईएमडी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (यूजर आईडी तथा पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम पंजीकृत कर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) ईएमडी का भुगतान अधोलिखित खाता नं. : 02400930000063 खाता का नाम : FUNDS TO BE CLEARED : DOC SERV, लाभार्थी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएससी कोड : HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा करना होगा। कृपया ध्यान दें कि चेक/डिमांड डाफ्ट ईएमडी राशि के रुप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
3. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में बैंक के रिकॉर्ड अनुसार संपत्ति पर नियम एवं शर्तो में उल्लिखित के अलावा कोई अन्य भार अर्थात संविधिक बकाया जैसे संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि नहीं है। फिर भी बैंक, आदि कोई हो किसी भी वर्तमान/भूतकाल/भविष्य बकाया असंविधिक बकाया/संविधिक बकाया/अधिभारों/बकाया करों/मुकदमेबाजी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता अधिभारों, संपत्ति/यों के टाइटल के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। **संपत्ति का निरिक्षण उपर वर्णित तिथी एवं समय में ही किया जा सकता है।**
4. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हे लॉगीन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहयोग अपेक्षित हो, वे हमारे सेवा प्रदाता **मे. सी 1 इंडिया प्रा. लि., प्लाट नं. 301, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज–2, गुड़गांव, हेल्पलाईन नं. 0124–4302020/ 21/22/23/24, श्री मिथिलेश कुमार, मोबाईल : 7080804466 एवं श्री हरीश गोवडा मो.: 09594597555,** हेल्पलाईन ई-मेल आईडी : **support@bankeauctions.com** से संपर्क करें तथा संपत्ति संबंधि पूछताछ के लिए **उपरोक्त संबंधित प्राधिकृत अधिकारी** से कार्यालय अवधि (प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे) के दौरान कार्यदिवसों को संपर्क करें।
5. उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्वीकृती के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना प्राप्त किए गए किसी भी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार है। उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
6. **(विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिए कृपया हमारी वेबसाईट www.hdfcbank.com तथा www.bankeauctions.com देखें)**

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिनी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/ नियम 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को ऊपर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रुप में भी समझा जाएगा। ऋणी/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा नीलामी से 15 दिन पूर्व उपरोक